न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 65/2023

1 कृष्ण उम्र 38 साल पुत्र चौथू
2 रामजीलाल उम्र 35 साल पुत्र चौथू
3 रामनिवास उम्र 40 साल पुत्र चौथू
4 कालूराम उम्र 50 साल पुत्र ग्यारसा
5 प्रहलाद उम्र 48 साल पुत्र मंगला
6 हरसाय उम्र 65 साल पुत्र गंगु
7 नर्बदा उम्र 60 साल पत्नी भूराराम
8 मालीराम उम्र 63 साल पुत्र श्यामलाल
समस्त जाति अहीर निवासी ढाणी पुरजीवाली तन ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर। मो. 9571692025

अपीलांटस

बनाम

1 रामकिशोर पुत्र सुरजमल
2 तीजा देवी पत्नी सुरजमल
समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
3 पटवारी पटवार हल्का दिवराला तहसील अजीतगढ़ जिला नीमकाथाना।
4 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना।
5 प्रवंधक वडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा दिवराला तहसील अजीतगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

6 रामप्यारी पुत्री सुरजमल
7 कमला पुत्री सुरजमल
8 शौभाग पुत्री सुरजमल
9 रोहिताश पुत्र सुरजमल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

10 मिश्री उर्फ पिंकी पुत्री सुरजमल
समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

औपचारिक रेस्पोडेन्टस

अपील अ. धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर
जिला सीकर बउनवानी रामकिशोर वगे. बनाम कृष्ण वगै.
मु.नं. 52/2021 अ. धारा 251 ए राज. काश्त. अधि.
निर्णय दिनांक 14.09.2023

उपस्थिति :
1. श्री कैलाश स्वामी , अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री ईश्वरलाल यादव, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 5/3/26

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 52/2021 में पारित निर्णय दिनांक 14.09.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत भूमि खसरा नम्बर 2561 वाके ग्राम दिवराला पटवार हल्का दिवराला का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधानों के विपरित जाकर चुनौतिग्रस्त निर्णय रेस्पोडेन्ट को सुविधा के लिए उपलब्ध कराया गया है जबकि अधिनियम की धारा 251 क (1) में स्पष्ट किया गया है कि 'यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के लिए सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है'' इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी भी काश्तकार को रास्ता उसकी सुविधा के लिए उपलब्ध नहीं कराया जायेगा बल्कि उसे वास्तविक रूप से आवश्यकता होनी आवश्यक है राजस्व रिकार्ड व नजरी नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2561 वाके ग्राम दिवराला के पूर्वी ओर रास्त भूमि खसरा नम्बर 2550 पूरे खेत के लगता है तथा वो उत्तरी ओर आगे अन्य भूमियों के लगता हुआ आगे मुख्य सड़क श्रीमाधोपुर अजीतगढ़ जाने वाली मुख्य डबल सड़क पर लगता है इस प्रकार स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2/प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 2561 के रास्ता खसरा नम्बर 2550 लगता है विचारण न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड नक्शे का अवलोकन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया जो खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा चुनौतिग्रस्त निर्णय तथ्यों व रिकार्ड के विपरित निर्णित होने का अन्देशा अपीलान्ट को पूर्व से ही हो गया था इस कारण अपीलान्ट ने पीठासीन अधिकारी के खिलाफ को ही मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या 2047/2023 कृष्ण कुमार बनाम उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर माननी राजस्व मण्डल में दिनांक 06.04.2023 को प्रस्तुत कर दिया गया था जिसकी प्रति विचारण न्यायालय के रिकार्ड पर उपलब्ध थी इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित कर न्याय के उद्देश्यों के विपरित व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित जाकर चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित किया है। भूमि खसरा नम्बर 2561 व 2547 दोनों खसरा नम्बर रेस्पोडेन्ट संख्यसा 1 व 2 रामकिशोर वगै. के है तथा इनकी ढाणी खसरा नम्बर 2540 अवस्थित है तथा इस ढाणी में आने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

के लिए रास्ता खसरा नम्बर 2489 मुख्य सड़क से चलकर रास्ता खसरा नम्बर 2534, 2538 जो कटाणशुदा रास्ता है तथा रेस्पोडेन्ट रामकिशोर की ढाणी में आता है तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पक्की सड़क बना दी गयी है तथा ढाणी में सड़क आकर रामकिशोर के खेत खसरा नम्बर 2547 में आकर टच होता है जिससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के उक्त रास्ता नजदीकी रास्ता है तथा खसरा नम्बर 2561 व 2547 के मध्य जो रास्ता खसरा नम्बर 2550 अवस्थित है जिसको उक्त ढाणी में जो रास्ता आता है उससे जोड़ा जा सकता है अर्थात खेत खसरा नम्बर 2547 जो कि रामकिशोर वगै. के उक्त सड़क टच होती है जिससे भी वह मुख्य सड़क पर आ जा सकता है। अपीलान्टस को उक्त प्रारम्भिक आपत्ति व आपत्ति तहसीलदार पर पर्याप्तम सुनवाई का अवसर दिया जाना कानूनन न्यायोचित था लेकिन विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 को नाजायज था लेकिन विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 को नाजायज फायदा पहुचाने की नियत से रिकार्ड व तथ्यों व कानून के विपरित जाकर चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि रास्ता पुराने राजस्व रिकार्ड में डोटेड विन्दुओं के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है, परन्तु वाद में राजस्व रिकार्ड की डिजीटलाईजेशन प्रकिया के दौरान उक्त डोटेड विन्दुओं के रूप में प्रचलित चले आ रहे रास्ते का राजस्व रिकार्ड से हटा दिया गया। इस का नामजद फायदा अपीलान्ट ने उठाकर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट व अन्य जनमानस को उक्त रास्ते के उपयोग उपभोग से रोकने व जाने से वंचित करने का दुराशय से बना रखा है। रेस्पोडेन्ट की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2561 में सड़क मार्ग से आवागमन का अन्य कोई रास्ता नहीं है तथा यह रास्ता लघुत्तम रास्ता है। खसरा नम्बर 2550 व 2555 की किस्म पहले से गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है यह रास्ता जो अजीतगढ़ श्रीमाधोपुर जाने वाली सड़क को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जोड़ता है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय के पेज संख्या 11 पर स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि " खसरा नम्बर 2561 में आवागमन हेतु एकमात्र, लघुत्तम व निकटतम रास्ता भूमि खसरा नम्बर 2550, 2552, 2556 व 2555 में से होना प्रकट होता है। यह रास्ता आवागमन की दृष्टि से अस्पष्ट लघुत्तम व निकटतम होना प्रकट होता है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए में रास्ते के संबंध में किये गये प्रावधानों के संबंध में एवं राज्य सरकार की किसानों को उनके कृषि जोत तक आने व जाने तथा अपनी कृषि यंत्रो/ साधनों को ले जाने बाबत लघुत्तम व निकटतम रास्ता दिये जाने के संबंध में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है। विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.09.2023 की पालना हो चुकी है और रास्ते के खसरा नम्बर अलग डाले गये है जो खसरा नम्बर 4336/2552, 4338/2556 राजस्व रिकार्ड में डालकर इन खसरों को गै.मु. रास्ता के रूप में जमाबंदी नक्शा में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामदन किये जा चुके है और रास्ते को आवागमन हेतु चालू कर रखा है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत भूमि खसरा नम्बर 2561, 2550, 2552, 2556, 2555 वाके ग्राम दिवराला पटवार हल्का दिवराला का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया।

धारा 251 क (1) में स्पष्ट किया गया है कि 'यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के लिए सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है" इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी भी काश्तकार को रास्ता उसकी सुविधा के लिए उपलब्ध नहीं कराया जायेगा बल्कि उसे वास्तविक रूप से आवश्यकता होनी आवश्यक है राजस्व रिकार्ड व नजरी नक्शा के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2561 वाके ग्राम दिवराला के पूर्वी ओर रास्त भूमि खसरा नम्बर 2550 पूरे खेत के लगता है तथा वो उत्तरी ओर आगे अन्य भूमियों के लगता हुआ आगे मुख्य सड़क श्रीमाधोपुर अजीतगढ़ जाने वाली मुख्य डबल सड़क पर लगता है इस प्रकार स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2/प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 2561 के रास्ता खसरा नम्बर 2550 लगता है विचारण न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड नक्शे का अवलोकन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है।

विचारण न्यायालय में अपीलान्ट ने पीठासीन अधिकारी के खिलाफ मुन्तकिली प्रार्थना पत्र संख्या 2047/2023 कृष्ण कुमार बनाम उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर माननीय राजस्व मण्डल में दिनांक 06.04.2023 को प्रस्तुत कर दिया गया था जिसकी प्रति विचारण न्यायालय के रिकार्ड पर उपलब्ध थी इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित कर न्याय के उद्देश्यों के विपरित व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित जाकर चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित किया है।

भूमि खसरा नम्बर 2561 व 2547 दोनों खसरा नम्बर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 रामकिशोर वगै. के है तथा इनकी ढाणी खसरा नम्बर 2540 अवस्थित है तथा इस ढाणी में आने के लिए रास्ता खसरा नम्बर 2489 मुख्य सड़क से चलकर रास्ता खसरा नम्बर 2534, 2538 जो कटाणशुदा रास्ता है तथा रेस्पोडेन्ट रामकिशोर की ढाणी में आता है तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पक्की सड़क बना दी गयी है तथा ढाणी में सड़क आकर रामकिशोर के खेत खसरा नम्बर 2547 में आकर टच होता है। विचारण न्यायालय ने इस संदर्भ में मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार किये बिना, वास्तविक स्थिति का विवेचन व विश्लेषण किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

अपीलान्टस को प्रारम्भिक आपत्ति व आपत्ति तहसीलदार पर पर्याप्तम सुनवाई का अवसर दिया जाना विधि अनुसार आवश्यक था। लेकिन विचारण न्यायालय ने संपूर्ण तथ्यों की जांच किये बिना अपीलान्ट को साक्ष्य सुनवाई, आपत्ति का अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन निर्णय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में पीठासीन अधिकारी स्वयं मौका निरीक्षण कर आपत्ति प्राप्त कर आपत्ति का निस्तारण कर बाद सुनवाई धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों की पालना में प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.03.2026 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 5/3/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार [illegible])
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर